GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

PUBLIC NOTICE

Bye-election to 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency, NCT of Delhi, on 23.06.2022 (Thursday)-Grant of paid holiday to employees on the day of poll

It is notified for information of the General Public that as per the provision of Section 135 B(1) of the Representation of the People Act 1951, every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote, shall be granted a holiday on **23.06.2022 (Thursday)**, the day of Poll for the bye-election to **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency in NCT of Delhi, so that he/she can cast his/her vote in the election.

As per sub-section (2) of section 135 B of the Representation of the People Act 1951, no deduction or abatement of the wages shall be made on account of above holiday and if any person is employed on the basis that he/she would not ordinarily receive wages for such a day, he/she shall nonetheless be paid wages he/ she would have drawn had not a holiday been granted to him/ her on that day.

Any contravention of the above provision by an employer is punishable as per the Provision of section 135 B (3) of the Representation of People Act, 1951.

However, as per sub-section (4) of section 135 B of the Representation of the People Act 1951, this section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

It is further brought to the notice of all concerned that Election Commission of India vide letter No. 78/EPS/2022 dated 07.06.2022 has clarified that above provisions required that all the electors who are employees of **establishments and shops** including those which work on shift basis shall be granted a paid holiday on the day of poll in the Constituency where the bye-election is to held. Further, there may be cases where a person is ordinarily resident of the constituency and registered as an elector, may be serving/ employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the constituency having a bye-election, in such a situation even those electors including casual worker working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under section 135 B (1) of the Representation of the People Act, 1951. The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in section 135 B of the Representation of the People Act, 1951.

(PRADEEP TAYAL)
DY. SECRETARY (GAD)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(समन्वय शाखा)
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–02

सार्वजनिक सूचना

39 – राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 23.6.2022 (गुरुवार) को होने वाले उप–निर्वाचन के लिये कर्मचारियों को भुगतान सहित छुट्टी के संबंध में।

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) के उपबन्ध के अनुसार किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी संस्थापना में कार्यरत तथा मतदान के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली में उप–चुनाव के मतदान के दिन दिनांक 23.6.2022 (**गुरुवार**) की छुट्टी प्रदान की जाएगी ताकि वे 39 – राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचन में अपना मत डाल सकें।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे व्यक्ति के वेतन में किसी प्रकार की कटौती या कमी उक्त छुट्टी के कारण नहीं की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर नियुक्त है, कि वह ऐसे किसी दिन के लिए सामान्यतः वेतन नहीं प्राप्त कर सकता हो, फिर भी उसे वह वेतन दिया जाएगा जो कि वह प्राप्त करता अगर उस दिन उसे वह अवकाश प्रदान नहीं किया जाता।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (3) के उपबन्धों के अनुसार नियोक्ता द्वारा उक्त उपबन्धों का उल्लंघन दंडनीय है। तथापि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी की उपधारा (4) के अनुसार ये धारा उस मतदाता पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति के कारण उस रोज़गार को संकट या भारी हानि हो सकती है जिसमें वह कार्यरत है।

सभी संबंधित की जानकारी में यह भी लाया जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने दिनांक 07.06.2022 के पत्र सं0 78/ईपीएस/2022 के द्वारा स्पष्ट किया है कि उपरोक्त प्रावधानों के लिए आवश्यक है कि सभी मतदाता जो ऐसे प्रतिष्ठान और दुकानों के कर्मचारी हैं जिस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो शिफ्ट के आधार पर कार्य करते हैं, मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। तथापि ऐसे मामले भी हो सकते है जहां कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हैं और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, उप–चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी संस्थापना में सेवारत है, इस प्रकार की स्थिति में उन मतदाताओं, जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। दैनिक वेतन/आकस्मिक कामगार भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के अनुसार मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे।

प्रदीप तायल
(प्रदीप तायल)
उप सचिव (सा0प्र0वि0)